संख्या-98/461/84-1-14-13 बजट/2013

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 23 जुलाई, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-108/स्था0 एस0/बत्तीस-2014, दिनॉक 21 मई,2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-7-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के मुख्यालय में वर्ष 1988 के पूर्व सृजित पदों पर कार्यरत् कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय हेतु वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 50,77,000/-के सापेक्ष प्रथम चार माह में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु रू0 16,92,000/- की धनराशि शासनादेश संख्या-93/276/84-1-14-13 बजट/2013, दिनॉक 02-4-2014 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई है। वित्तीय वर्ष आगामी माहों में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए बजट में प्राविधानित उक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 33,85,000/- (तैतीस लाख पच्चासी हजार रूपये) मात्र श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- शासनादेश संख्या-93/276/84-1-14-13 बजट/2013, दिनॉक 02-4-2014 की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03- उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

सख्या- 98/461(1)/84-1-14-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/ कलेक्ट्रेट, लखनऊ
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7-उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप डेस्क इकाई/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
8-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in